रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122024-259441
CG-DL-E-16122024-259441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/अग्रहायण 25, 1946
No. 705] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/AGRAHAYANA 25, 1946

IndiaCode

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 767(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय डाकघर नियम, 1933 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर नियम, 2024 है।

(2) ये, 16 दिसंबर, 2024 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भारतीय डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से नियम 5 में विनिर्दिष्ट डाक सेवाएं बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "सर्किल प्रमुख" से मुख्य महा डाकपाल या सर्किल में मुख्य महा डाकपाल की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "प्रभागीय प्रमुख" से डाक प्रभाग या रेल डाक सेवा (आरएमएस) प्रभाग या विदेश डाक का निदेशक या वरिष्ठ अधीक्षक या मुख्य डाकपाल या अधीक्षक, अथवा डाक प्रभाग या रेल डाक सेवा (आरएमएस) प्रभाग

या विदेश डाक का निदेशक या वरिष्ठ अधीक्षक या मुख्य डाकपाल या अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "मेल कार्यालय" से डाक विभाग द्वारा डाक-वस्तुओं की हैंडलिंग, प्रोसेसिंग या पारेषण के लिए प्रयोग में लाया जा रहा डाक कार्यालय या परिसर अभिप्रेत है;

(च) "मेल सेवा" से मदों के एकत्रण, हैंडलिंग, परिदान, अग्रेषण, वापसी और धारण करने से संबंधित सभी क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं;

(छ) "डाक महसूल" से डाक सेवा पर प्रभार्य राशि अभिप्रेत है;

(ज) "क्षेत्रीय निदेशक" से संबद्ध निदेशक या क्षेत्र में निदेशक की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है ;

(झ) "क्षेत्रीय प्रमुख" से संबंध महा डाकपाल या क्षेत्र में महा डाकपाल की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ञ) "सार्वभौमिक डाक सेवा" से ऐसी डाक सेवा का उपबंध अभिप्रेत है जो देश के भीतर और बाहर सभी प्रयोक्ताओं के लिए वहन करने योग्य और उपलब्ध हो; और

(ट) "मूल्य संवर्धित सेवाएं" से मेल सेवाओं पर एड-ऑन फीचर्स अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं पर परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो इस अधिनियम में हैं।

3. डाकघर (घरेलू/विदेशी) द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाएं.- प्रत्येक डाकघर, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) देश की सीमाओं के भीतर या बाहर डाक सेवाएं;

(ख) खंड (क) की बाबत लागू मूल्य संवर्धित सेवा;

(ग) खंड (क) की बाबत सार्वभौमिक डाक सेवा;

(घ) वित्तीय सेवाएं जिसके अंतर्गत बैंकिंग, सरकार का बचत बैंक, भुगतान प्रणाली और कोई अन्य वित्तीय सेवाएं सम्मिलित हैं;

(ङ) देश की सीमाओं के भीतर या बाहर धन प्रेषण सेवाएं;

(च) बीमा सेवाएं, जिसके अंतर्गत जीवन बीमा या कोई अन्य बीमा सम्मिलित है;

(छ) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत नागरिक-केंद्रित सेवाएं;

(ज) पते के पहचान सूचकों और डाक कोड से संबंधित सेवाएं;

(झ) राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा प्रस्थापित कोई सेवा;

(ञ) लोक या निजी इकाइयों के सहयोग के माध्यम से प्रस्थापित अन्य सेवा;

4. महानिदेशक द्वारा कतिपय सेवाएं प्राधिकृत किया जाना.- महानिदेशक-

(क) इन नियमों में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित नए उत्पादों को पुरःस्थापित करने, उपांतरित करने या किसी उत्पाद को बंद करने; और

(ख) नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में लोक या निजी इकाइयों के साथ सहयोग करने, के लिए प्राधिकृत होगा ।

5. डाक सेवा बोर्ड.- (1) डाक सेवा बोर्ड, नियम (3) के अधीन डाकघर द्वारा प्रदत्त किन्हीं सेवाओं के लिए स्थायी उत्तराधिकार और कॉमन सील मुद्रा वाला शीर्ष स्तरीय नीति बनाने वाला निकाय होगा ।

6. केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड की संरचना; और उसकी शक्तियां, कार्य और कर्तव्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

IndiaCode

7. डाक महसूल स्टांपों के संबंध में अनन्य विशेषाधिकार.- नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार या महानिदेशक नियत, स्मारक, विशेष डाक महसूल स्टांप या किसी अन्य प्रकार के डाक महसूल स्टांप या संबंधित सामग्री जारी करेगा ।

8. फिलैटली सलाहकार समिति.- केंद्रीय सरकार फिलैटली सलाहकार समिति गठित कर सकेगी, जो स्मारक और विशेष डाक टिकट जारी करने पर और उससे संबंधित अन्य सहबद्ध मामलों पर सलाह देगी ।

9. डाक महसूल या अन्य प्रभारों के संदाय की रीति.- नियम 3 के अधीन डाक सेवाओं के लिए डाक महसूल या अन्य प्रभार्य राशियों का संदाय निम्नलिखित किसी ढंग के माध्यम से और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) नकद में; या

(ख) डिजिटल ढंग के माध्यम से संदाय; या

(ग) डाक महसूल स्टांप द्वारा; या

(घ) फ्रैंकिंग मशीन की छाप के माध्यम से; या

(ङ) किसी अन्य ढंग से, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

10. अन्य सेवाओं के संदाय के ढंग.- इन नियमों में उल्लिखित किन्हीं अन्य मेल सेवाओं पर प्रभार्य राशि के संदाय का ढंग ऐसा होगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

11. पते और पोस्ट कोड.- (1) महानिदेशक विनियमों द्वारा,-

(i) डाक-वस्तु पर संबोधन के लिए मानक विनिर्दिष्ट करेगा;

(ii) पता पहचान सूचकों और पोस्ट कोड का प्रबंधन और आबंटन करेगा ।

(2) महानिदेशक, डाक कोड या डाक सूचकांक (पिन) कोड का प्रबंधन, आबंटन और प्रकाशन करेगा ।

12. अन्य देशों के साथ समझौते करने की शक्ति.- (1) केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय डाक सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए इन नियमों में यथा उल्लिखित सेवाएं प्रदान करेगी ।

(2) अंतर्राष्ट्रीय डाक सहयोग अन्य देशों या क्षेत्रों, विश्व डाक संघ (यूपीयू) या अन्य डाक संघों या लोक अथवा निजी इकाइयों के साथ होगा और यूपीयू कंवेशन मैनुअल और विनियमों के उपबंधों, विदेशों, अन्य संघों के साथ बहु-स्तरीय या द्वि-स्तरीय करारों, तत्समय प्रवृत्त यथा लागू विधियों और उपविधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अनुरूप होंगे ।

(3) महानिदेशक उपनियम (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए विनियमों को जारी करने के लिए प्राधिकृत है ।

13. शासकीय चिह्न निम्नलिखित का द्योतक होगा- निम्नलिखित के संबंध में, डाक-वस्तु पर डाकघर के चिह्न कतिपय तथ्यों के साक्ष्य का द्योतक होंगे,-

(क) डाक-वस्तु प्रस्तुत करना व उस पर डाकघर का शासकीय चिह्न जो इसका द्योतक है कि मद इंकार या नामंजूर या अदावाकृत हो चुकी है, या किसी अन्य कारण से या इस प्रकार द्योतक किए गए किसी अन्य टिप्पणी के कारण परिदत्त नहीं की जा सकती, उपदर्शित तथ्य का पर्याप्त साक्ष्य होगा, और

(ख) अधिनियम के अधीन वसूल की जाने वाली कोई डाक महसूल या अन्य अभिकथित देय राशि के लिए प्रत्येक कार्यवाही ।

14. डाक-वस्तु का प्रेषक :- व्यक्ति या पता या जिससे मद आई हुई तात्पर्यित है, को उसका प्रेषक समझा जाएगा ।

15. डाक-वस्तुओं पर शासकीय चिह्न :- महानिदेशक, विनियमों द्वारा कतिपय अधिकारियों या कर्मचारियों को किसी डाक-वस्तु पर शासकीय चिह्न बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, जो इसका द्योतक होगा कि–

(क) डाकघर के संबंध में उसकी कोई डाक महसूल या अन्य राशि देय है ;

(ख) चिह्न इस साक्ष्य का द्योतक होगा कि उक्त राशि इस प्रकार देय है; और

(ग) डाक-वस्तु इंकार या नामंजूर या अदावाकृत की जा चुकी है, या किसी अन्य कारण से परिदत्त नहीं की जा सकती ।

16. डाक-वस्तु (डाक-वस्तुओं) का अंतर्रुद्ध, निरूद्ध किया जाना और उन्हें खोला जाना- (1) धारा 9 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, डाक विभाग में प्रचालन कार्य देख रहे बोर्ड के सदस्य अथवा सर्कल प्रमुख द्वारा किए गए किसी आदेश द्वारा के सिवाय, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किसी डाक-वस्तु या डाक-वस्तु के वर्ग के अंतर्रुद्ध, निरोध या खोले जाने के लिए कोई निदेश नहीं जारी किया जाएगा ।

(2) अपरिहार्य परिस्थितियों में, ऐसा आदेश क्षेत्रीय प्रमुख या क्षेत्रीय निदेशक के रैंक से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।

(3) आपातकालीन दशाओं में, जहां किसी मद के अंतर्रुद्ध, निरूद्ध और खोले जाने के लिए पूर्व निदेशों को अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है, अपेक्षित मद के अंतर्रुद्ध, निरूद्ध और खोले जाने को प्रभागीय अध्यक्ष के निदेशों पर कारित किया जाएगा, जो ऐसे अंतर्रुद्ध, निरूद्ध किए जाने या उन्हें खोले जाने के तीन कार्यकारी दिन के भीतर उपनियम (1) या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट संबद्ध सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसा आदेश संबद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा सात कार्यकारी दिन की अवधि भीतर पुष्ट किया जाएगा :

परंतु यह कि यदि सक्षम प्राधिकारी से पुष्टिकरण नियत सात दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा अंतर्रुद्ध प्रचालन करना समाप्त हो जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना पुनः प्रारंभ नहीं किया जाएगा ।

(4) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश में ऐसे निदेश के लिए लेखबद्ध रूप से अभिलिखित किए गए कारण अन्तर्विष्ट होंगे ।

(5) उपनियम (1) उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन किए गए अंतर्रुद्ध की निगरानी के लिए, केंद्रीय सरकार एक पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात :-

(क) महानिदेशक, डाक - अध्यक्ष और

(ख) बोर्ड के दो सदस्य, उपनियम (1) में उल्लिखित सदस्य से भिन्न - सदस्य ।

(6) पुनर्विलोकन समिति तीन मास में न्यूनतम एक बार बैठक करेगी और उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन जारी सभी निदेशों का पुनर्विलोकन करेगी ।

(7) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों पर डाक-वस्तुओं के अंतर्रुद्ध और निरूद्ध किए जाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात :-

(क) डाकघर का प्रभारी अधिकारी या कोई उच्चतर अधिकारी; या

(ख) मेल कार्यालय का प्रभारी अधिकारी या कोई उच्चतर अधिकारी ।

(8) कोई प्राधिकृत अधिकारी, संबद्ध विधि प्रवर्तन प्राधिकारी की उपस्थिति के सिवाय इस नियम में विनिर्दिष्ट किसी डाक-वस्तु को नहीं खोलेगा ।

(9) प्राधिकृत अधिकारी समुचित अभिलेखों का अभिरक्षण करते हुए, उसमें डाक-वस्तु का प्रवर्ग जिसके अंतर्गत कोई ट्रैकिंग संख्या, प्रेषक और प्रेषिती की विशिष्टियां, डाक-वस्तु का भार, डाक महसूल, मद के अंतर्रुद्ध और निरूद्ध किए जाने के लिए कारण, डाक-वस्तु के अंतर्रुद्ध और निरूद्ध किए जाने की तारीख तथा कालावधि जिसके लिए निदेश प्रवृत्त रहेंगे, का उल्लेख करेगा ।

(10) प्राधिकृत अधिकारी, डाकघर विनियम, 2024 में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन अंतर्रुद्ध की गई डाक-वस्तु का निपटान सुनिश्चित करेगा ।

(11) अंतर्रुद्ध और निरूद्ध के लिए निदेश तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उन्हें जारी करने की तारीख से तीस दिन की अनधिक अवधि के लिए तथा और बढ़ाने के लिए, पहले ही प्रतिसंहृत न किया जाए :

परंतु यह कि अवधि नब्बे दिनों से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, निरुद्ध डाक-वस्तु को संबद्ध विधि प्रवर्तन प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा ।

IndiaCode

(12) उपनियम (1) से उपनियम (3) के अधीन किसी डाक-वस्तु का अंतर्रुद्ध और निरूद्ध किया जाना, प्रेषक को किसी कार्रवाई से छूट नहीं देता है, जो कि हो चुकी होती, यदि डाक-वस्तु सम्यक क्रम में डाक के माध्यम से परिदत्त की गई होती ।

(13) उपनियम (1) से उपनियम (11) के उपबंध विदेशों को भेजी गई और उन से प्राप्त डाक-वस्तुओं पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

17. डाक-वस्तुओं के परिदान में प्राधिकृत अधिकारी का कर्तव्य :- प्राधिकृत अधिकारी, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे सीमा शुल्क प्राधिकारी या किसी अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी को, ऐसी डाक-वस्तु जिसमें शुल्क हेतु दायी गणना अन्तर्विष्ट है या जिसमें कोई प्रतिषिद्ध डाक-वस्तु अन्तर्विष्ट होने की शंका है, डाक-वस्तु का परिदान करने के लिए सशक्त करेगी, ताकि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसरण में ऐसी डाक-वस्तु के संबंध में यथावश्यक कार्रवाई की जा सके ।

18. अन्य कानूनों के अतिरिक्त अंतर्रुद्ध परंतु उनके उल्लंघन में नहीं :- नियम 16 में अन्तर्विष्ट कोई बात, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यथा अपेक्षित डाक-वस्तुओं के अंतर्रुद्ध का निवारण नहीं करेगी तथा ऐसी विधि के अधीन लागू किसी प्रक्रिया द्वारा शासी नहीं होगी ।

19. दायित्व से छूट :- (1) केंद्रीय सरकार, विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट किसी डाक-वस्तु या उसकी अन्तर्वस्तुओं या किसी अन्य आधार पर हानि या क्षति के लिए, यदि कोई हो, प्रतिकर का उपबंध करेगी ।

(2) प्रतिकर, हानि या क्षति की रकम से अनधिक होगा तथा प्रतिषिद्ध डाक-वस्तुओं या प्रेषक की गलती या उपेक्षा द्वारा कारित या अनिवार्य बाध्यता से उद्भूत हानि या क्षति पर संदत्त नहीं होगा ।

[फा. सं. 01-04/2024-पीओ]

विवेक कुमार दक्ष, उप महानिदेशक

IndiaCode

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2024

G.S.R. 767(E).— In exercise of the powers conferred by section 12 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), and in suppression of the Indian Post Office Rules,1933, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Post Office Rules, 2024.

(2) They shall come in to force on the 16th day of December, 2024.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means "the Post Office Act, 2023" (43 of 2023);

(b) "Board" means the Postal Services Board specified in rule 5;

(c) "Circle Head" means the Chief Postmaster General concerned or an officer exercising the powers of Chief Postmaster General in the circle;

(d) "Divisional Head" means Director or Senior Superintendent or Chief Postmaster or Superintendent of Postal Division or Railway Mail Service (RMS) Division or Foreign Post, or an officer exercising the powers of Director or Senior Superintendent or Chief Postmaster or Superintendent of Postal Division or Railway Mail Service Division or Foreign Post;

(e) "mail offices" means the Post Offices or premises associated with handling, processing or transmission of items, used by the Department of Post;.

(f) "mail service" means all activities related to collection, handling, transmission, delivery, forwarding, returning and holding of items;

(g) "postage" means the sum chargeable on mail service;

(h) "Regional Director" means the Director concerned or an officer exercising the powers of Director in the region;

(i) "Regional Head" means the Postmaster General concerned or an officer exercising the powers of Postmaster General in the region;

(j) "universal postal service" means the provision of such postal services which are affordable and made available to all users, within and outside the country; and

(k) "value-added service" means add-on features on mail services.

(2) Words and expressions used herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Services to be provided by Post Office (Domestic/Foreign).- Every Post Office may provide the following service for carrying out the purposes of the Act, namely: -

(a) mail services within or beyond the limits of the country;

(b) value-added service applicable in respect of clause (a);

(c) universal postal service in respect of clause (a);

(d) financial services including banking, Government Savings Bank, payment system and any other financial services;

(e) money remittances services within or beyond the limits of the country;

(f) insurance services including life insurance or any other insurance;

(g) citizen-centric services as authorised by the Central Government;

(h) services associated with addressing identifiers and postcodes;

(i) any service offered by State Government or Local Government;

(j) any service offered through collaboration with public or private entities.

4. **Director General to authorize certain Services.-** The Director General is authorised to -

(a) introduce new products, or modify or discontinue any products related to the services mentioned in these rules; and

(b) enter into a collaboration with public or private entities in respect of services specified under rule 3.

5. Postal Services Board.- The Postal Services Board shall be the apex level policy making body, having perpetual succession and a common seal, for any of the services provided by the Post Office, under rule 3.

6. The Central Government may, by notification in the Official gazette, specify the composition of the Board; and powers, functions and duties of the Board.

7. Exclusive privilege in respect of postage stamps.- Subject to the provisions of rule 8, the Central Government or, as the case may be, the Director General shall issue definitive, commemorative, special issues of postage stamps or any other form of postage stamps or related material.

8. **Philatelic Advisory Committee. -** The Central Government may constitute a Philatelic Advisory Committee which shall advice that Government on issues of commemorative and special postage stamps and other allied matters related thereto.

9. Modes of payment of postage or other charges.- The payment of the postage or other sums chargeable for mail services under rule 3, shall be made through any of the following mode and in such manner as may be specified in the regulations, namely: -

(a) in cash; or

(b) payment through digital mode; or

(c) by postage stamp; or

(d) by means of impressions of franking machines; or

(e) any other mode, as may be specified in the regulations.

IndiaCode

10. Modes of payment for other Services. - The modes of payment for the sum chargeable on any other services mentioned in these rules shall be such, as may be specified in the regulations.

11. **Addresses and postcodes.-** (1) The Director General shall, by regulations, -

(i) specify the standards for addressing on the items;

(ii) manage and allocate addressing identifiers and postcodes.

(2) The Director General shall manage, allocate and publish Postcodes or Postal Index Number (PIN) codes.

12. Power to give effect to arrangements with other countries. - (1) The Central Government shall provide the services as mentioned in these rules in furtherance to international postal co-operation.

(2) The international postal co-operation shall be with other countries or territories, Universal Postal Union (UPU), or other postal unions, or public or private entities, and in conformity with the provisions of the UPU Convention Manual and Regulations, multilateral or bilateral agreements with the foreign countries, other unions, laws and bye-laws, and the international laws, as may be applicable, for the time being in force.

(3) The Director General is authorised to issue regulations, for the purposes of sub-rules (1) and (2).

13. Official mark to be denoted.- The Post Office marks shall be the proof of certain facts denoted on the item, in respect of, —

(a) the production of the item, having thereon the official mark of the Post Office denoting that the item has been refused or rejected or unclaimed, or cannot for any other reason be delivered, or any other remark so denoted, shall be sufficient proof of the fact indicated, and

(b) every proceeding for the recovery of any postage or other sum alleged to be due under the Act.

14. **Sender of Item.-** The person or the address or from whom the item is purported to have come, shall, be deemed to be the sender thereof.

15. Official mark on items.- Director General may, by regulations, authorise certain officers or officials to make an official mark on an item denoting that-

(a) any postage or other sum is due in respect thereof to the Post Office;

(b) the mark shall be the proof to denote that the said sum as is so due; and

(c) the item has been refused or rejected or unclaimed, or cannot for any other reason be delivered.

16. Interception, detention and opening of item(s).- (1) Subject to the provisions of sub-section(1) of Section 9, no direction for interception, detention or opening of any item or class of item under sub-section (1) of section 9 of the Act shall be issued, except by an order made by a Member of the Board looking after the work of operations in the Department of Posts or the Circle Head.

(2) In unavoidable circumstances, such order may be made by an officer, not below the rank of the Regional Head or the Regional Director.

(3) In emergent cases, where obtaining of prior directions for interception, detention or opening of item is not feasible, the required interception, detention or opening of item shall be carried out on the directions of the Divisional Head, who shall inform the concerned competent authority specified in sub-rule (1) or sub-rule (2) within three working days of such interceptions, detention or opening and that such order shall be got confirmed by the concerned competent authority within a period of seven working days:

Provided that if the confirmation from the competent authority is not received within the stipulated seven days, such interception shall cease to operate and shall not be recommenced without the prior approval of the competent authority.

(4) Any order issued by the competent authority under sub-rules (1), (2) and (3) shall contain reasons to be recorded in writing for such direction.

(5) In order to oversee the interception done under sub-rules (1), (2) and (3), the Central Government shall constitute a review committee consisting of the following, namely: -

(a) Director General, Posts- Chairman and

(b) two Members of the Board, other than the Member mentioned in sub-rule (1) – Members.

(6) The review committee shall meet at least once in three months and review all directions issued under sub-rules (1), (2) and (3).

IndiaCode

(7) The Central Government hereby notifies the following officers as authorized officers to intercept and detain items on the orders of the competent authority, namely;-

(a) Officer in-charge of Post Office or any higher officer; or

(b) Officer in-charge of the Mail Office or any higher officer.

(8) No authorized officer shall open any item specified in this rule, except in the presence of the concerned law enforcement authority.

(9) The authorised officer shall maintain proper records mentioning therein, category of the item including any tracking number, particulars of sender and addressee, weight of the item, postage, reason for interception and detention of the item, date of interception and detention of the item and the duration for which the directions remain in force.

(10) The authorised officer shall ensure the disposal of the item intercepted under sub-rules (1), (2) and (3) in the manner as specified in the Post Office Regulations, 2024.

(11) The directions for interception and detention shall remain in force, unless revoked earlier, for a period not exceeding thirty days from the date of issue and may be further extended:

Provided that the period may not be extended beyond ninety days:

Provided further that on the expiry of the period specified in the first proviso, the detained item shall be handed over to the concerned law enforcement authority.

(12) The interception and detention of an item under sub-rules (1) to (3) does not exempt the sender from any action which might have been taken, if the item had been delivered in due course through post.

(13) The provisions of sub-rules (1) to (11) shall apply mutatis mutandis to the items sent to and received from foreign countries.

17. Duty of authorized officers in delivering items.- The authorized officers shall be empowered to deliver an item, reckoned to contain anything liable to duty, or which is suspected to contain any prohibited item, to such customs authority or any other law enforcement authority as may be specified in notification issued under sub-section (3) of Section 9 of the Act for taking necessary action in respect of such item in accordance with the provisions of any law for the time being in force.

18. Interception in addition to and not in derogation of other laws.- Nothing contained in rule 16 shall prevent interception of items as required under any law for the time being in force and shall be governed by any procedures applicable under such law.

19. Exemption from Liability.- (1) The Central Government shall provide compensation for loss or damage of an item or its contents or on any other grounds, if any, as specified in the regulations.

(2) The compensation shall not exceed the amount of the loss or damage, and shall not be paid on prohibited items, or loss or damage caused by the fault or negligence of the sender, or arising from force majeure.

[F. No. 01-04/2024-PO]

VIVEK KUMAR DAKSH, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.12.16 16:15:16 +05'30'